सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, जि धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंम्बोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या–99 / 2017

1–तोताराम पुत्रश्री गणेशी जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पंचगॉव तहसील व जिला धौलपुर (फोत दोराने दावा) 1/1– सरवतीदेवी पुत्री गणेशी पत्नी हरिप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी रजौरा तहसील सैपऊ(फौत दोराने दावा) 1/1/1–ओमप्रकाश 1/1/2–कृष्णमुरारी 1/1/3–हरिओम पुत्रगण एंव 1/1/4–ओमवती 1/1/5–सुनीता 1/1/6–मंजेश पुत्रीगण हरिप्रसाद जातिगण ब्राहमण निवासीगण रजौराखुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.......वादीगण

बनाम

1–किशनसिह 2–संतोषी पुत्रगण बीरबल जातिगण काछी निवासीगण रजौराखुर्द
3–पीएनबी बैक शाखा धौलपुर जरिये शाखा प्रवन्धक
4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर
5–रामवीर 6–भूपेन्द्र 7–चतुरसिह पुत्रगण किशनसिह जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम रजौराखुर्द तहसील सैपऊ

——— प्रतिवादीगण

दावा,बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए

उपस्थिति – 1–श्री शेषकुमार शर्मा एडवोकेट (वादी)
2–श्री गिरीस व्यास एडवोकेट (प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी ★ सैपऊ ★ राजस्थान

निर्णय   दिनांक 03.10..2019

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में दिनांक 27.11.2017 को वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1465, 1495, 1510, स्थित वाके ग्राम रजौराखुर्द तहसील सैपऊ का पेश किया । दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण न्यायालय उप0 आये और मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की। अतः दावा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 13.06.2019 को प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य उनके नाम रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें

तहसीलदार सैपऊ ने अपने पत्र क्रमांकःराजस्व / 2019 / 683 दिनांक 16.09.2019 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें हैं । तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर विद्वान अभिभाषक वादी एंव प्रतिवादीगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)

काश्तकार हैं । तहसीलदार सैपऊ ने प्रेषित विभाजन प्रस्तावों में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में रिकार्ड में दर्ज भूमि के अनुसार ही भूमि प्रस्तावित की है । इस प्रकार तहसीलदार सेपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम रजौराखुर्द तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–ओमप्रकाश,कृष्णमुरारी,हरिओम पुत्रगण व ओमवती, सुनीता, मंजेश पुत्रीयां हरिप्रसाद कौम ब्राहमण सा0 रजौराखुर्द तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा बीघा में
1.	1465/1	0–15
2.	1495/1	0–09
3.	1510/1	0–16
योग	3	2–00

2–संतोषी पुत्र बीरबल कौम कुशवाह सा. देह

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1465/2	0–14
2.	1495/2	0–10
3.	1510/2	0–17
योग	3	2–01

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 03.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हरिसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ(धौलपुर)

5.–

जिला कोषाधिकारी धौलपुर (राज.)
27 SEP 2019

ASPECIAL ADHESIVE

डिक्री व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
व इजलास – हरिसिह लंम्बोरा **(आर० ए० एस०)**
प्रकरण संख्या–99/2017

1–तोताराम पुत्रश्री गणेशी जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पंचगॉव तहसील व जिला धौलपुर (फोत दोराने दावा) 1/1– सरवतीदेवी पुत्री गणेशी पत्नी हरिप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी रजौरा तहसील सैपऊ(फौत दोराने दावा) 1/1/1–ओमप्रकाश 1/1/2–कृष्णमुरारी 1/1/3–हरिओम पुत्रगण एंव 1/1/4–ओमवती 1/1/5–सुनीता 1/1/6–मंजेश पुत्रीगण हरिप्रसाद जातिगण ब्राहमण निवासीगण रजौराखुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.......वादीगण

बनाम

1–किशनसिह 2–संतोषी पुत्रगण बीरबल जातिगण काछी निवासीगण रजोराखुर्द 3–पीएनबी बैक शाखा धौलपुर जरिये शाखा प्रवन्धक
4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर
5–रामवीर 6–भूपेन्द्र 7–चतुरसिह पुत्रगण किशनसिंह जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम रजौराखुर्द तहसील सैपऊ

——— प्रतिवादीगण

दावा,बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरिसिह लंम्बोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री शेषकुमार शर्मा एडवोकेट एंव मिनजानिव मुद्दायलह श्री गिरीस व्यास एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम नन्दपुरा एंव तसीमो तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है:–

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

1–ओमप्रकाश, कृष्णमुरारी, हरिओम पुत्रगण व ओमवती, सुनीता, मंजेश पुत्रीयां हरिप्रसाद कौम ब्राहमण सा0 रजौराखुर्द तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा बीघा में
1.	1465/1	0—15
2.	1495/1	0—09
3.	1510/1	0—16
योग	3	2—00

2–संतोषी पुत्र बीरबल कौम कुशवाह सा. देह

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1465/2	0—14
2.	1495/2	0—10
3.	1510/2	0—17
योग	3	2—01

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर की आदेशानुसार/प्रस्तावित मानचित्र अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 03.10.2019 को जारी की गई।

(हरिसिह लंम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ